BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No.1246/2024

IN THE MATTER OF:

Udhay Bhan ...Applicant

Versus

State of UP & Ors. ...Respondent(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	P. NO.
1.	**REPLY ON BEHLAF OF RESPONDENTS NO(S). 2, 4 AND 5 ALONG WITH AFFIDAVIT IN COMPLAINCE OF THE ORDER DATED 21.10.2024.**	1-6
2.	**ANNEXURE R1-** True copy of the report (with photographs) of **Range Forest Officer, Mathura** documenting the illegal felling	7-9
3.	**ANNEXURE R2-** True copy of the report of the Police station, Vrindavan dated 06.02.2025.	10
4.	**ANNEXURE R3-** True copy of the FIR No. 0475/2024, dated 08.10.2024.	11-16
5.	**ANNEXURE R4-** True copy of the (H-2 Case No. 13/Mathura/2024-25) dated 08.10.2024.	17-18

DATE: 07.02.2025
PLACE: NOIDA

FILED THROUGH
BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
NATIONAL GREEN TRIBUNAL
9079321362

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No.1246/2024

IN THE MATTER OF:

Udhay Bhan ...Applicant

Versus

State of UP & Ors. ...Respondent(s)

REPLY ON BEHLAF OF RESPONDENTS NO(S). 2, 4 AND 5 IN COMPLAINCE OF THE ORDER DATED 21.10.2024.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That in the present Original Application, the applicant alleges the illegal felling of 50 trees in Tikari Garden, Darah Ghat, Ramanreti, Vrindavan, an area situated within the ecologically sensitive Taj Trapezium Zone (TTZ). The applicant contends that the tree cutting was carried out in violation of multiple statutory provisions, including the Indian Forest Act, 1927 (as amended in 2000), the Forest (Conservation) Act, 1980, the TTZ Guidelines, and the directions of the Hon'ble Supreme Court in M.C. Mehta v. Union of India (W.P. No. 13381/1984), which restrict activities that adversely impact the environmental balance within the TTZ. Furthermore, the applicant asserts that the act also contravenes the Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976, which mandates strict protection of trees, particularly in ecologically fragile areas such as Vrindavan.

2. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 21.10.2024 issued notice to the impleaded respondents in the matter at hand and directed them to file a reply/response by way of an affidavit.

3. It is submitted here that the concerned authorities took sincere note of the complaint which was received regarding the illegal felling of trees and initiated immediate action without any delay. That the Range Forest Officer, Mathura vide letter no. 173/33-1 dated 09.10.2024 has informed

the Divisional Director, Social Forestry Division, Mathura about the cognizance of the incident taken by the concerned authorities and the action taken consequently. That the incident and action taken details are elaborated below:

DETAILS OF THE INCIDENT AND IMMEDIATE INVESTIGATION

i. <u>Receipt of Information:</u> On **08.10.2024**, at approximately 4:00 PM, information was received regarding the illegal felling of trees on private land belonging to the **Jeeva Institute of Vedic Studies, Vrindavan, Mathura, located on Sunarkh Road near Vrindavan Parikrama Marg.**

ii. <u>Immediate Action Taken:</u> Upon receipt of the information, **Sub Divisional Forest Officer, Mathura and Range Forest Officer, Mathura** along with other officials promptly reached the location of the offence at **Jeeva Institute of Vedic Studies, Vrindavan, Mathura** to conduct a field investigation.

iii. <u>Findings of Field Investigation:</u> The on-site primary investigation by the above mentioned officials revealed the **illicit felling of eight (08) trees and the clearing of twenty-six (26) bushes**. The details of 08 trees is as following:

Species OF TREES	NUMBER OF TREES
Papdi (Holoptelea integrifolia)	7
Ber (Ziziphus jojoba)	1

iv. <u>Prima Facie Purpose of Offence:</u> As per report, preliminary findings indicate that the **primary objective of the felling was to construct a boundary wall** around the land in question.

v. <u>Identification of Offenders:</u>Based on the immediate field investigation, the following individuals were identified by forest officials as potentially involved in the offence:

- Dr. Satya Narayan Das, Swami of Jeeva Institute of Vedic Studies, Vrindavan, Mathura, and owner of the land.
- Shri Vishnu Das, resident of Jeeva Institute of Vedic Studies, Vrindavan, Mathura.
- Two (02) other unidentified persons.

True copy of the report (with photographs) of **Range Forest Officer, Mathura** documenting the illegal felling has been attached as **ANNEXURE R1.**

4. It is important to mention here that the concerned authorities took necessary action and the same has been explained below:

THE ACTION TAKEN

a. **Registration of H-2 Case and a F.I.R.**

- **Forest Offence Report (H-2 Case No. 13/Mathura/2024-25)** dated **08.10.2024 at Mathura range and FIR No. 0475/2024**, dated **08.10.2024** at police station, Vrindavan were lodged by forest officials against two named individuals and two unidentified persons.
- The Complaint case (H2 case) and F.I.R. were registered **u/s 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976,** and for violation of the **Hon'ble Supreme Court's order dated 08.05.2015 in Writ Petition No. 13381/1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India).**

b. **Surrender of Offenders:** That As per report of the Police station, Vrindavan dated 06.02.2025, the following offenders surrendered before the **Ld. Additional Chief Judicial Magistrate-I (ACJM-I), Mathura** and were subsequently granted bail-

   - **Shri Vishnu Das** surrendered before the **Hon'ble Court** on **18.10.2024.**
   - **Dr. Satya Narayan Das** surrendered on **24.10.2024.**

c. **Seizure of Illegally Felled Timber**

The timber obtained from the illicit tree felling was seized by the Forest Department and was placed in custody of the forest department at Mayur Sarankshan Kendra, Vrindavan, Mathura.

d. **Investigation Report & Final Findings**

Upon conducting a detailed site inspection and enquiry, the Investigating Officer of forest Offence Report (H2 case) Sub Divisional Officer, Mathura concluded that the following persons were directly involved in the illegal felling of 08 trees and their details are given below including the identification of two unknown accused persons:

- **Dr. Satya Narayan Das,** Swami of Jeeva Institute of Vedic Studies, Vrindavan, Mathura (Owner of the land).

- **Shri Vishnu Das**, r/f Jeeva Institute of Vedic Studies, Vrindavan, Mathura.
- **Shri Anurag Kumar Shukla**, r/f Jeeva Institute of Vedic Studies, Vrindavan, Mathura (currently residing at Shital Chhaya 380, Ramanreti, Thana Vrindavan, Mathura).
- **Shri Lakut Prasad**, r/f Jeeva Institute of Vedic Studies, Vrindavan, Mathura (currently residing at Devi Aatas, Thana Jait, Mathura).

  During enquiry of above mentioned Forest Offence Report (H2 case), Investigation Officer included Violation of Section 7 and 55 (2) of Biodiversity Act, 2002 also.

e. <u>**Filing of Complaint Case**</u>

- That after concluding the investigation of above mentioned Forest Offence Report H2 Case), a **Complaint Case dated 30.01.2025** has been filed by the forest department before the **Ld. Additional Chief Judicial Magistrate-I (ACJM-I), Mathura**, seeking the **harshest punishment** for the offenders.
- It is important to note here that the Ld. Court will after conducting trial give their decision regarding any punitive action to be taken against the offenders and penalty to be paid for illegal cutting the trees mentioned above.
- That the matter before the Ld. Court will be heard on the next date i.e., 05.03.2025, therefore decision is awaited.

True copy of the report of the Police station, Vrindavan dated 06.02.2025 has been annexed herein as **ANNEXURE R2**

True copy of the FIR No. 0475/2024, dated 08.10.2024has been annexed herein as **ANNEXURE R3.**

True copy of the (H-2 Case No. 13/Mathura/2024-25) dated 08.10.2024 has been annexed herein as **ANNEXURE R4.**

5. It is pertinent to mention here that tree feeling is a serious offence and especially in the Taj Trapezium Zone which is a specified eco-sensitive zone as per the **Hon'ble Supreme Court's order dated 08.05.2015 in Writ Petition No. 13381/1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India).** It is submitted here that all necessary action has been taken by the concerned authorities and the Complaint Case filed on dated 30.01.2025

before the Ld. Additional Chief Judicial Magistrate-I (ACJM-I), Mathura, is pending. That the next date given by the Ld. Magistrate in this matter is 05.03.2025, therefore further decision as to taking punitive action is pending.

6. It is submitted here that the deponent has made full compliance of the order of the Hon'ble Tribunal dated 21.10.2024 and taken effective measures to resolve the situation. That the deponent has taken action with sincere respect and regard to this Hon'ble Tribunal.

DATE: 07.02.2025
PLACE: NOIDA

FILED THROUGH
BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
NATIONAL GREEN TRIBUNAL
9079321362

कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

NOTARIAL NOTARIAL

Advocate Notary Distt. Court, Mathura

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No.1246/2024

IN THE MATTER OF:

Udhay Bhan ...Applicant

Versus

State of UP & Ors. ...Respondent(s)

AFFIDAVIT

I, Rajnikant Mittal aged about 41 years, S/o Shri Ramesh Chand Gupta, Divisional Forest Officer, Mathura, State of Uttar Pradesh presently at Mathura, do hereby most solemnly state and affirm as under;

1. I am the Divisional Forest Officer, Mathura, State of Uttar Pradesh and fully conversant with the facts and circumstances of the present case. I affirm that this Affidavit is being filed by the Deponent in compliance of order dated 21.10.2024 of this Hon'ble Tribunal.

2. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

GIRRAJ SINGH Advocate Notary, MATHURA

NOTARY GIRRAJ SINGH ADVOCATE Regd. No 736 Mathura Appointed by Govt. of India

185
7/1/25

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Mathura on this 7th day of January, 2025, that the contents of the above Affidavit from paragraphs 1 to 2 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Deponent Identified.
सतीश चन्द वार्ष्णेय
अधिवक्ता
वन विभाग जिला-मथुरा

DEPONENT

The Contents of the Affidavit Document Read over and explained to Shri R.K. Mittal who is identified by Shri S.C. Varshney Adv on oath attested to day on 7/1/25 has been Registered S. No. 185 at my office and charged fees Rs......
GIRRAJ SINGH
Advocate Notary
Distt. Court, Mathura

Annexure R1

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा, सा0वा0 प्रभाग,मथुरा

पत्रांक 173 / 33-1 मथुरा, दिनांक 09/10/.2024.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

विषय :– दिनांक 08.10.2024 को वृन्दावन परिकमा मार्ग के समीप सुनरख रोड पर जीवा वैदिक संस्थान वृन्दावन जिला मथुरा के प्राइवेट परिषर में कटान के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 08.10.2024 को समय लगभग 4:00 बजे दूरभाष पर प्राप्त सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा क्षेत्र में तैनात स्टाफ के साथ उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा के नेतृत्व में मौका घटना स्थल पर पहुँच कर मौके का स्थलीय निरीक्षण/जॉच कार्यवाही की गयी तो जॉच में वृन्दावन परिकमा मार्ग के समीप सुनरख रोड जीवा वैदिक संस्थान के निजी परिषर में निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निजी वृक्षों का पातन किया जाना पाया गया।

क0सं0	वृक्ष की प्रजाति का नाम	वृक्ष की गोलाई/ सर्कम फैरेंस (से0मी0)में	वृक्ष का व्यास वर्ग	अम्युक्ति
1	2	3	4	5
1	पापड़ी	35	1–2	उक्त के अतिरिक्त परिसर में अवस्थित 26 झॉड़ियों की कटाई/सफाई की गयी।
2	पापड़ी	34	1–2	
3	पापड़ी	40	1–2	
4	पापड़ी	25	0–1	
5	पापड़ी	34	1–2	
6	पापड़ी	31	0–1	
7	पापड़ी	25	0–1	
8	देर	25	0–1	

उक्त कटान कार्य जीवा वैदिक संस्थान के मालिक डॉ0 श्री सत्यनारायन दास व श्री विष्णुदास निवासी जीवा वैदिक संस्थान, वृन्दावन जिला मथुरा व अन्य 02 लोगों द्वारा वृक्षों का पातन कुल्हाड़ी तथा आरे के माध्यम से किया गया है। पातन से सम्बन्धित स्थल के फोटोग्राफ्स आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

प्रकरण में उक्त कार्यवाही के पश्चात प्रथम दृष्टया संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय केस सं0–13/मथुरा/2024–25 दिनांक 08.10.2024 इजरा किया गया तथा अवैध रूप से पातित प्रकाष्ठ को सीज कर विभागीय अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरण में कठोरतम कार्यवाही करते हुए उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा रिट पिटीशन

(सि0) सं0–13381/1984 में ताज ट्रपेजियम जोन क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षों के पातन न करने के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों कासमावेश करते हुए सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत 08 वृक्ष तथा 26 झॉड़ियों के मौके पर पाये गये कटान के सम्बन्ध में जीवा वैदिक संस्थान, वृन्दावन के मालिक डॉ0 श्री सत्य नारायन दास व श्री विष्णुदास निवासी जीवा वैदिक संस्थान, वृन्दावन जिला मथुरा व अन्य 02 लोगों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0 सं0–0475/2024) थाना वृन्दावन कोतवाली में दर्ज करायी गयी। जिसकी प्रति संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मथुरा।

पत्रांकः 173/33-1 दिनांकित

प्रतिलिपि–उप प्रभागय वनाधिकारी,मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मथुरा।

वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के समीप सुनरख रोड पर स्थित जीवावैविक अध्ययन संस्थान की भूमि पर अवैध पातन किये गए वृक्षों के फोटो

Annexure R2

<u>रिपोर्ट थाना वृन्दावन, मथुरा।</u>

सेवा में,

श्रीमान उप प्रभागीय वनाधिकारी/
जाँच अधिकारी, उप प्रभाग, मथुरा।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 451/35- 3 दिनांक 05.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से थाना वृन्दावन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 475/2025 में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों/नोटिस जारी किये गये अभियुक्तों/मा0 न्यायालय के समक्ष समर्पण किये गये अभियुक्तों के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

दिनांक 08.10.2024 को वादी श्री जयवीर (वनरक्षक) पुत्र स्व. मेव सिंह निवासी भीमनगर सलेमपुर थाना फरह जिला मथुरा वर्तमान तैनाती वनरक्षक, प्रभागीय निदेशक कार्यालय मथुरा, फैज-ए-आम स्कूल के पास थाना सदर बाजार जनपद मथुरा की लिखित तहरीर एवं दाखिला फर्द बरामदगी बाबत दिनांक 08.10.24 को जीवा वैदिक संस्थान में अभियुक्तगण द्वारा हरे वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पर मु0अ0सं0 475/2024 अन्तर्गत धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम बनाम अभियुक्तगण 1. सत्य नरायण दास शिष्य श्री हरिदास शास्त्री, 2. विष्णु दास उर्फ सतदल विश्वास पुत्र माखनलाल विश्वास शिष्य हरिदास जी शास्त्री निवासी पी.वी. – 43 जयश्रीनगर, कांकेर (छत्तीसगढ) हाल निवासीगण 380 शीतल छाया, रमणरेती थाना वृन्दावन मथुरा व अन्य दो अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया। विवेचना के मध्य घटना में सम्मलित रहे 02 अज्ञात अभियुक्तगण 3. अनुराग कुमार शुक्ला पुत्र स्व. छैलबिहारी शुक्ला निवासी मोहल्ला बाजारगंज, मोहमदी थाना मोहमदी जिला लखीमपुर खीरी हाल निवासी शीतल छाया 380 रमणरेती थाना वृन्दावन जनपद मथुरा, 4. लकुट प्रसाद पुत्र स्व. श्री कल्लन प्रसाद निवासी देवी आटस थाना जैत जिला मथुरा के नाम प्रकाश में आये। अभियुक्त विष्णुदास उर्फ सतदल विश्वास द्वारा दिनांक 18.10.2024 को एवं अभियुक्त सत्यनरायण दास द्वारा दिनांक 24.10.2024 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर अपनी जमानत स्वीकृत करायी गयी एवं शेष अभियुक्तगणं अनुराग कुमार शुक्ला एवं लकुट प्रसाद उपरोक्त पर दिनांक 03.11.2024 को नोटिस अन्तर्गत धारा 35(3) बीएनएसएस तामील कराकर विवेचना के क्रम में बयान अंकित किये गये। विवेचना से अभियुक्तगण सत्य नरायण, विष्णुदास उर्फ सतदल विश्वास, अनुराग कुमार शुक्ला व लकुट प्रसाद उपरोक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम प्रमाणित चालान जरिए आरोप पत्र संख्या 383/2024 दिनांक 03.11.2024 मा0 न्यायालय किया जाता है। विवेचना समाप्त की जा चुकी है।

आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है।

06/02/2025
(शिवशरन सिंह)
उ0नि0,
थाना वृन्दावन, मथुरा।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा
P.S. (थाना): वृन्दावन
Year (वर्ष): 2024
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0475
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 08/10/2024 23:17

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): मंगलवार
Date From (दिनांक से): 08/10/2024
Date To (दिनांक तक): 08/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 6
Time From (समय से): 16:00 बजे
Time To (समय तक): 16:00 बजे

Scanned with OKEN Scanner

(b)Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 08/10/2024 Time (समय):23:17 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 062 Date & Time (दिनांक और समय): 08/10/2024 23:17 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 05 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): परिक्रमा मार्ग के पास सुनरख रो,जीवा वैदिक संस्थान वृन्दावन

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

Scanned with OKEN Scanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.वी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): वनरक्षक श्री जयवीर

(b) Father's Name (पिता का नाम)-: श्री स्व0 गेंद सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2001

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	भीम नगर फरह मथुरा वन रक्षक ,फरह,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	भीम नगर फरह मथुरा वन रक्षक ,फरह,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9759199038

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	डा0 श्री सत्य नारायण दास			1. जीवा वैदिक संस्थान ,वृन्दावन, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	विष्णु दास			1. जीवा वैदिक संस्थान ,वृन्दावन जिला मथुरा ,वृन्दावन,मथुरा, उत्तर प्रदेश,भारत
3	02 अज्ञात			1. अज्ञात,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर ...सेवा मे थाना अध्यक्ष महोदय थाना वृन्दावन (मथुरा) विषय FIR (प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध मे महोदय निवेदन के साथ अवगत करना है कि आज दिनाक 08.10.2024 को समय लगभग शाम 4.00 बजे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के समीप सुनरख रोड पर जीवा वैदिक अध्ययन संस्थान की भूमि पर पेड काटे जा रहे है सूचना पर विश्वास करते हुए मै हमराह श्री पदम सिह वनरक्षक के साथ वताये गए स्थल पर पहुचे तो पाया गया कि कुछ लोगो द्वारा पेडो को काटा गया है जिसकी ठूठ गोलाई इस प्रकार है 1.पापडी 1 35 CM (2).34CM (3) 40CM (4) 25 CM (5) 34 CM (6) 31CM (7) 25CM (2)वेर (1) 25CM (3) अन्य -26 झाडिया आस पास के लोगो से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि जीवा वैदिक अध्ययन संस्थान के मालिक डा0 श्री सत्य नारायण दास व विष्णु दास निवासी जीवा वैदिक संस्थान वृन्दावन जिला मथुरा व अन्य -02 लोगो द्वारा वृक्षो को काटा गया है उक्त व्यक्तियो द्वारा ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत अपराध किया गया है एवम माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिट पिटीशन संख्या 13381/1984 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ मे योजित आई0ए0संख्या 527 मे पारित आदेश दिनाक 8/5/2015 का उल्लघन किया गया

है अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त व्यक्तियो के विरुद्ध प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करे ।संलग्नक पेडो की फर्द बरामदगी रिपोर्ट प्रार्थी ह0 jayveer जयवीर पुत्र श्री स्व0 मेव सिह निवासी भीम नगर थाना फरह मथुरा वनरक्षक मथुरा रेज मो0 9759199038 ।नोट- मै का0 1286 देवेन्द्र सिह प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द कम्प्युटर पर अंकित की गयी ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SHIV SHARAN SINGH Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 952550598 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS VRINDAVAN
Rank I (inspector)
No. 9454403953

13/1, म०अप०/2024-25

1371

ANNEXURE R4

उ०प्र० परिधि (सर्किल) बृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) सा०वा० वन प्रभाग मथुरा

उ०प्र० ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10

अपराध......प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०......दिनांक 8/10/2024 अधिक्षेत्र राजि मथुरा

नाम, पिता का नाम और निवास स्थान

(1) डा० श्री सत्य नारायण दास नि०-जीवा वैदिक संस्थान, वृन्दावन मथुरा, उ० प्र०, भारत

(2) विष्णु दास नि० - जीवा वैदिक संस्थान, वृन्दावन मथुरा, उ०प्र०, भारत

(3) 2 अज्ञात

2. साक्षी का नाम
पदम सिंह व०र०

3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

आज दिनांक 08.10.24 को शाम लगभग शाम 4:00 बजे वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के समीप सुनरख रोड़ पर जीवा वैदिक अध्ययन संस्थान की भूमि पर वृक्षों को काटना अनुमानित के काटना जिनकी कुल गोलाई 1. पापड़ी (1) 35cm, (2) 34cm (3) 40cm, (4) 25cm, (5) 25cm, (6) 31cm, (7) 25cm, 2. बेर (1) 25cm (3) अन्य - 16 झाड़ियाँ)

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

Lat 27.577778°
Long 77.673827°

6. प्रसूचना (रिर्पोट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.10.2024 को समय लगभग शाम 4:00 बजे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आज दिनांक वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के समीप सुनरख रोड़ पर जीवा वैदिक अध्ययन संस्थान की भूमि पर पेड़ काटे जा रहे हैं सूचना पर विश्वास करते हुए मैं हमराह श्री पदम सिंह, व०र० के साथ बताये गए स्थल पर पहुँचे तो पाया गया कि कुछ लोगो द्वारा पेड़ों को काटा गया है। जिसकी कुल गोलाई इस प्रकार है 1. पापड़ी (1) 35cm (2) 34cm (3) 40cm (4) 25cm (5) 34cm (6) 31cm (7) 25cm 2. बेर 25cm 3. अन्य -26 झाड़ियाँ आस-पास के लोगो से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि जीवा वैदिक अध्ययन संस्थान के मालिक डा० श्री सत्य नारायण दास व विष्णु दास नि० - जीवा वैदिक संस्थान वृन्दावन जिला मथुरा व अन्य-02 लोगो द्वारा वृक्षों को काटा गया है। उक्त व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत अपराध किया गया है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 13381/1984 एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 8/5/2015 उल्लंघन योजित आई०ए० संख्या 527 में पारित आदेश दिनांक 8/5/2015 उल्लंघन किया गया है।

अतः श्रीमान जी की सेवा में रिपोर्ट सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है

प्रार्थी
Jaiveer
जयवीर व०र०
मथुरा रेंज

गवाह
पदम सिंह

महोदय,
H2 रेंज की प्रथम सूचना
जांच अधिकारी - क्षेत्रीय वन
उप क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज को प्रेषित
एवं सूचना (प्रेषित)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मथुरा

13/मथुरा/2024-25
58/प्रभाग/2024-25
जीवा उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा।
संज्ञान में।

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० वन प्रभाग, मथुरा

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 8/10/2024 को समय लगभग सायं 4:00 बजे घटना स्थल परिक्रमा मार्ग के समीप सुनरख रोड पर जीवा वैदिक अध्ययन संस्थान की भूमि में काटे मिले वृक्षों को उ० प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत लकड़ी को निम्न गवाह की उपस्थिति में बरामद किया जो निम्न प्रकार है—

प्रजाति	गोलाई
1. पापड़ी -	(1) 35cm (2) 34cm (3) 40cm (4) 25cm (5) 34cm (6) 31cm (7) 25cm
2. बेर.	(1) 25cm
3. अन्य	26 झाड़ियाँ

समस्त लकड़ी को उठाकर अपनी अभिरक्षा में मयूर संरक्षण केन्द्र वृन्दावन में सुरक्षित रखवा दिया गया है।

गवाह हस्ताक्षर व नाम	हस्ताक्षर जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी।	बरामद करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम
(1) पदमसिंह (2) प्रेमसिंह	अभियुक्त ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया	Jaiveer जयवीर वन रक्षक मथुरा रेंज